2526653/2023/ -9

संख्या- 38 /2023/ R.F -770 /001-E-1721417

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गोरखपुर।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2023**

विषय:- वितीय वर्ष 2023-24 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या -37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक- 553/ कार्य-3/44, दिनांक- 25.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर निगम, गोरखपुर में राप्ती नदी में गिरने वाले कटनियॉ/महेवा नाले के इण्टरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेन्ट संबंधी योजनान्तर्गत प्रस्तावित एस0 टी0 पी0, एम0पी0एस0 एवं तत्संबंधी कार्यो हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय किये जाने हेतु अनुदान संख्या-37, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत धनराशि **रू0 2169.00 लाख** स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर निगम, गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल प्राक्कलित धनराशि **रू0 2169.00 लाख** पर सम्यक् **विचारोपरान्त रू0 2169.00 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ उनहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये एकमुश्त धनराशि रू0 2169.00 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ उनहत्तर लाख मात्र)** अनुदान संख्या-37, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

अनुदान संख्या-37 **(धनराशि लाख रू0 में)**

निकाय का नाम	कार्य का नाम	कार्य लागत (लाख में)
नगर निगम, गोरखपुर	राप्ती नदी में गिरने वाले कटनियॉ/महेवा नाले के इण्टरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेन्ट संबंधी योजनान्तर्गत प्रस्तावित एस0टी0पी0, एम0पी0एस0 एवं तत्संबंधी कार्यो हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय किये हेतु।	2169.00
	कुल योग	**2169.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षो के पश्चात् दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी। स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के लिए निकाय बोर्ड का अनुमोदन यथासमय अवश्य प्राप्त किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बिन्धित जनपद के मुख्य् कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नही रखी जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्याय पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्ती य नियमों के अनुसार किया जायगा।

(6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्डक-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्ययवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्ति कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा ''डिस्पले बोर्ड'' पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायगा।

(10) विद्युत कार्यो के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या - 227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) नियमानुसार समस्तक आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्ता करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) निष्प्रियोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायगा।

(15) प्रस्ताववित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तसर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जाएगा।

(17) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय वहॉ के जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(18) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो यह भी वहॉ के जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(19) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन जिलाधिकारी/ नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

(20) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के लिए निकाय बोर्ड का अनुमोदन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा यथासमय अवश्य प्राप्त किया जाएगा।

(21) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(23) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(24) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।

(25) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबंधित अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(26) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।

(27) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि धनराशि की बचत होती है, उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(28) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 21,69,00,000 (रुपये इक्कीस करोड़ उनहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 6215021910500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-179-X-2023-24, दिनांक- 15 सितम्बर, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

संख्या-38 /2023/ R.F -770 /001-E-1721417, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, ~~नगर निगम लखनऊ~~ । गोरखपुर।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
9. गार्ड फाइल।
10. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-15/09/2023

प्रेषण संख्या:- 38
आवंटन आदेश संख्या:- 001-38-2023-RF-770-001-E-1721417
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	गोरखपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	216900000 216900000	216900000 216900000
	योग	वर्तमान प्रगामी	216900000 216900000	216900000 216900000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया इक्कीस करोड़ उनहत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्कीस करोड़ उनहत्तर लाख

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव